संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 15 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ का समंजन जो 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति/निलम्बन पर थे और उनके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए/उनकी मृत्यु हो गई।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 33 के अनुसार, पेंशन की गणना हेतु, 'परिलब्धि' का अर्थ है मौलिक नियमों के नियम 6(21)(क)(1) में यथा परिभाषित वह मूल वेतन जो कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृति के ठीक पहले अथवा अपनी मृत्यु के दिन प्राप्त कर रहा था। इस नियम के तहत टिप्पणी 3 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी सेवानिवृति अथवा मृत्यु के ठीक पहले असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था अथवा निलम्बन के अधीन रहा था, वह अवधि सेवा नहीं मानी जाती है, ऐसी छुट्टी पर जाने अथवा निलम्बित किए जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन ही इस नियम के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगी। उस तरीके के संबंध में संदेश उठाए गए हैं जिसके द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ का समंजन किया जाएगा जो 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति/निलम्बन पर थे और उसके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए /उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और निम्लिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

सरकारी कर्मचारी की श्रेणी	वह तरीका जिसके द्वारा पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ का समंजन किय जाएगा
वह सरकारी कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति पर था जिसकी अवधि 1.1.2006 को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाती है और जो कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गया/उसकी मृत्यु हो गई।	केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 33 के अनुसार, ऐसी छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन ही पेंशन के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगी। इस प्रकार परिकलित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू(ए) दिनांक 1/9/2008 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा और पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को इसका भुगतान देय तिथि से किया जाएगा।

	उपदान के उद्देश्यार्थ, परिलब्धि में सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख को अनुमत्य महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। पेंशन/कुटुम्ब पेंशन/पेंशन का संराशीकरण का संमजन 1.1.2006 से पहले लागू नियमों/अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।
वह सरकारी कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी पर था- जिसकी अवधि 1.1.2006 को अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाती है और उसके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही वह सेवानिवृत्ति हो गया/उसकी मृत्यु हो गई।	ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन 1.1.2006 से नोशनल रूप में संशोधित किया जाएगा और इस प्रकार नोशनल रूप से संशोधित मूल वेतन पेंशन के उद्देश्यार्थ परिलब्धि के रूप में गिना जाएगा। उपदान के उद्देश्यार्थ, परिलब्धि में सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख को अनुमत्य महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। उसका पेंशन/कुटुम्ब पेंशन, पेंशन का संराशीकरण का संमजन इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड डब्ल्यू(ए) दिनांक 2.9.2008 में उल्लिखित अनुदेशो के अनुसार किया जाएगा और पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को इसका भुगतान देय तिथि से किया जाएगा।
वह सरकारी कर्मचारी जो 1.1.2006 को निलम्बन के अधीन था और उसके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्ति हो गया।	ऐसा सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर केवल अनंतिम पेंशन का हकदार होता है। निलंबित होने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त की गई परिलब्धि अनंतिम पेंशन के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगी। यह अनंतिम पेंशन तब तक संशोधित नहीं की जाएगी जब तक कि विभागीय/न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और उस पर अंतिम आदेश जारी नहीं हो जाते।

3. ये आदेश वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) की सहमति से उनके यू.ओ.सं. सी-33/ईV/2010 दिनांक 13.5.2010 द्वारा जारी किए जाते हैं।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के व्यक्तियों पर लागू होने के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी घोष)
निदेशक

1. सभी मंत्रालय/विभाग

2. सीजीए/सीएजी/सीपीएओ

3. स्टैंडर्ड डाक सूची के अनुसार